<u>प्रेस नोट</u>
<u>जनपद सोनभद्र</u>
<u>दिनांक 10.04.2024</u>

<u>थाना बभनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आत्महत्या के लिए उकसाने व मृतका के साक्ष्य को छिपाने का प्रयास करने वाले 05 नफर वांछित अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार-</u>

आगामी लोक सभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, डॉ0 यशवीर सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आप0 सोनभद्र श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी दुद्धी श्री प्रदीप सिंह चन्देल के पर्यवेक्षण में थाना बभनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-44/2024 धारा- 306/201 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.अभय सिंह खरवार उर्फ मोटु पुत्र कपिलदेव उम्र करीब 22 वर्ष, 2. आकाश सिंह पुत्र कपिलदेव उम्र करीब 19 वर्ष, 3. विनोद पुत्र हरि खरवार उम्र करीब 40 वर्ष, 4.ओमप्रकाश पुत्र श्री भगवान खरवार उम्र करीब 23 वर्ष, 5. रामसुभग पुत्र बासदेव खरवार उम्र करीब 32 वर्ष निवासीगण सेमरिया टोला बचरा थाना बभनी जनपद सोनभद्र को मुखबिर की सूचना पर सेमरिया टोला जंगल के पास डुमरहर मेन रोड के पास से आज दिनांक 10.04.2024 समय करीब 06.05 बजे गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u> वादी मुकदमा श्री धन सिंह बैगा पुत्र स्व0 रामरतन सिंह ग्राम बभनी सड़क टोला थाना बभनी जनपद सोनभद्र की पुत्री संतोषी देवी उम्र 18 वर्ष का अभय सिंह खरवार उर्फ मोटु पुत्र कपिलदेव निवासी सेमरिया टोला बचरा थाना बभनी जनपद सोनभद्र से प्रेम प्रसंग था जो उसी से शादी करना चाहती थी। दिनांक 26.03.2024 को समय करीब 01.00 बजे दोपहर में संतोषी घर से अकेले अभय सिंह उर्फ मोटु के घर उसी के साथ रहने के लिये चली गयी और उसके साथ उसी के घर रहने के लिये कही तो अभय उर्फ मोटु ने शादी करने और अपने साथ रखने से मना कर दिया कि मै खरवार जाति का हूं और तुम बैगा जाति की हो तुमसे मेरी शादी नही हो सकती है और न ही मै तुमको रख सकता हूँ। मेरे गांव में ही तुम्हारी मौसी का घर है तुम वहां चली जाओ जिससे क्षुब्ध होकर संतोषी देवी उपरोक्त अभय उर्फ मोटु के घर के कुछ दूरी पर अरहर के खेत के आड़ में पलास के पेड़ में फासी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे डरकर बचने के लिए अभय उर्फ मोटु एवं उसके सहयोगी उसका छोटा भाई आकाश सिंह व आस पास के निवासी विनोद पुत्र हरि खरवार, ओमप्रकाश पुत्र श्री भगवान,रामसुभग पुत्र बासदेव मिलकर संतोषी के शव को घटनास्थल से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर एकांत जंगल में कुंए में रस्सी व पत्थर से बांधकर पानी में डुबोकर साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से शव को छिपा दिये, परन्तु रस्सी बड़ा होने एवं पत्थर का टुकड़ा छोटा होने के कारण मृतका अज्ञात का शव दिनांक 31.03.2024 को पानी में उतराया दिखा। जिसकी सूचना पर शिनाख्त न हो पाने के कारण शव को पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी में रखवा दिया गया था। दिनांक 01.04.2024 को फोटो पहनावा आदि देखकर परिजनों द्वारा पहचान करने पर मृतका संतोषी की दिनांक 02.04.2024 को पोस्टमार्टम की पूर्ण कार्यवाही करायी गयी। मृतका के पिता धन सिंह के तहरीर के आधार पर थाना बभनी सोनभद्र पर दिनांक 09.04.2024 को

मु0अ0सं0- 44/2024 धारा 306/201 भादवि बनाम 1.अभय सिंह खरवार उर्फ मोटु पुत्र कपिलदेव उम्र करीब 21 वर्ष, 2. आकाश सिंह पुत्र कपिलदेव उम्र करीब 16 वर्ष, 3. विनोद पुत्र हरि खरवार उम्र करीब 40 वर्ष, 4.ओमप्रकाश पुत्र श्री भगवान खरवार उम्र करीब 22 वर्ष, 5. रामसुभग पुत्र बासदेव खरवार उम्र करीब 29 वर्ष निवासीगण सेमरिया टोला बचरा थाना बभनी जनपद सोनभद्र के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1.आत्महत्या करने वाले घटनास्थल से मृतका का एक जोड़ी चप्पल।

2.फाँसी के फन्दे की शेष साड़ी व घटना में प्रयुक्त अन्य साक्ष्य को नष्ट करने हेतु आग से जला देने वाले स्थान से मिश्रित राख।

3.मृतका के शव से बरामद फाँसी लगा साड़ी के फन्दे का टुकड़ा।

4.साक्ष्य को छिपाने के लिए मृतका के शव को कुंए के पानी में छिपाने हेतु प्रयुक्त रस्सी।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक सदानन्द राय थाना बभनी जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 अभयनाथ सिंह यादव थाना बभनी जनपद सोनभद्र।
3. उ0नि0 सुनील कुमार थाना बभनी जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 भरत यादव थाना बभनी जनपद सोनभद्र।
5. हे0का0 प्रदीप सिंह थाना बभनी जनपद सोनभद्र।
6. का0 मन्टू सिंह थाना बभनी जनपद सोनभद्र।
7. का0 अजय कुमार थाना बभनी जनपद सोनभद्र।